न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 09/2022

श्री प्रकाश चन्द जैन निवासी 2/520 हाउसिंग बोर्ड टोंक रोडवेज बस स्टैण्ड के पास टोंक राज.

बनाम ——अपीलार्थी

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक, जिला–टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 29.04.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिमकारी एंव तहसीलदार टोंक, जिला–टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 10–12–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

कार्यालय का नाम	अवधि	राशि	विशेष
तहसीलदार भू.अ. जिला टोंक	DA एरियर जमा वर्ष 1984–85 समर्पित अवकास जमा वर्ष 1984–85 DA एरियर जमा वर्ष 1984–85 (250+350) DA एरियर जमा वर्ष 1984–85 IR एरियर 4/95 से 9/95 जमा वर्ष 1984–85	150 25 600 90 825	पासबुक संलग्न

उपरोक्त कटौतियां मेरे वेतन मे से आपके कार्यालय में मेरे जीपीएफ खाता सं. 186396 में कटौति हुई जिसका इन्द्राज आपके कार्यालय मेंरी जीपीएफ पासबुक में किया गया। तालिका में अंकित कटौतियों की जीपीएफ पासबुक की फोटो प्रति संलग्न कर रहा हु। उपरोक्त कटौतियां का भुगतान सेवानिवृत पर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त कटौतियां के GA55A अथवा कटौति पत्र (शड्यूल) की प्रतियां बिल सं. दिनांक व भुगतान तिथि टी.वी. नं. भुगतान तिथि सहीत अंकित करते हुए उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक, जिला–टोंक को पत्र किमांक 496 दिनांक 05–04–2022 व 508 दिनांक 13.4.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट [illegible] नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक, जिला–टोंक [illegible] क्रमांक: 2022/2893 दिनांक 11–04–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांकः 2022/70 दिनांक 5–1–2022 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:15:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

डाक द्वारा प्रेषित की गई है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक, जिला–टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:15:04 IST
Reason: SelfAttested